

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (स)

क्षेत्र

बनाम

अणपत

किस प्रकार का

सर्व

नं.

2013

/2007

मन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
16-11-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्द उप./म. के अंतर्गत क्षेत्र द्वारा/के अंतर्गत क्षेत्र/के अंतर्गत क्षेत्र है। प्रथम कार्यवाही क्षेत्र 4-1-23 को के</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
4-1-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्द उप./म. के अंतर्गत क्षेत्र द्वारा/के अंतर्गत क्षेत्र/के अंतर्गत क्षेत्र है। प्रथम कार्यवाही क्षेत्र 30-1-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
30.01.2023	<p>पत्रावली आदि पेश हुई। उलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 30/01/23</p> <p style="text-align: center;">(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सं. कर)</p>

